वार्षिक रिपोर्ट
2006—2007

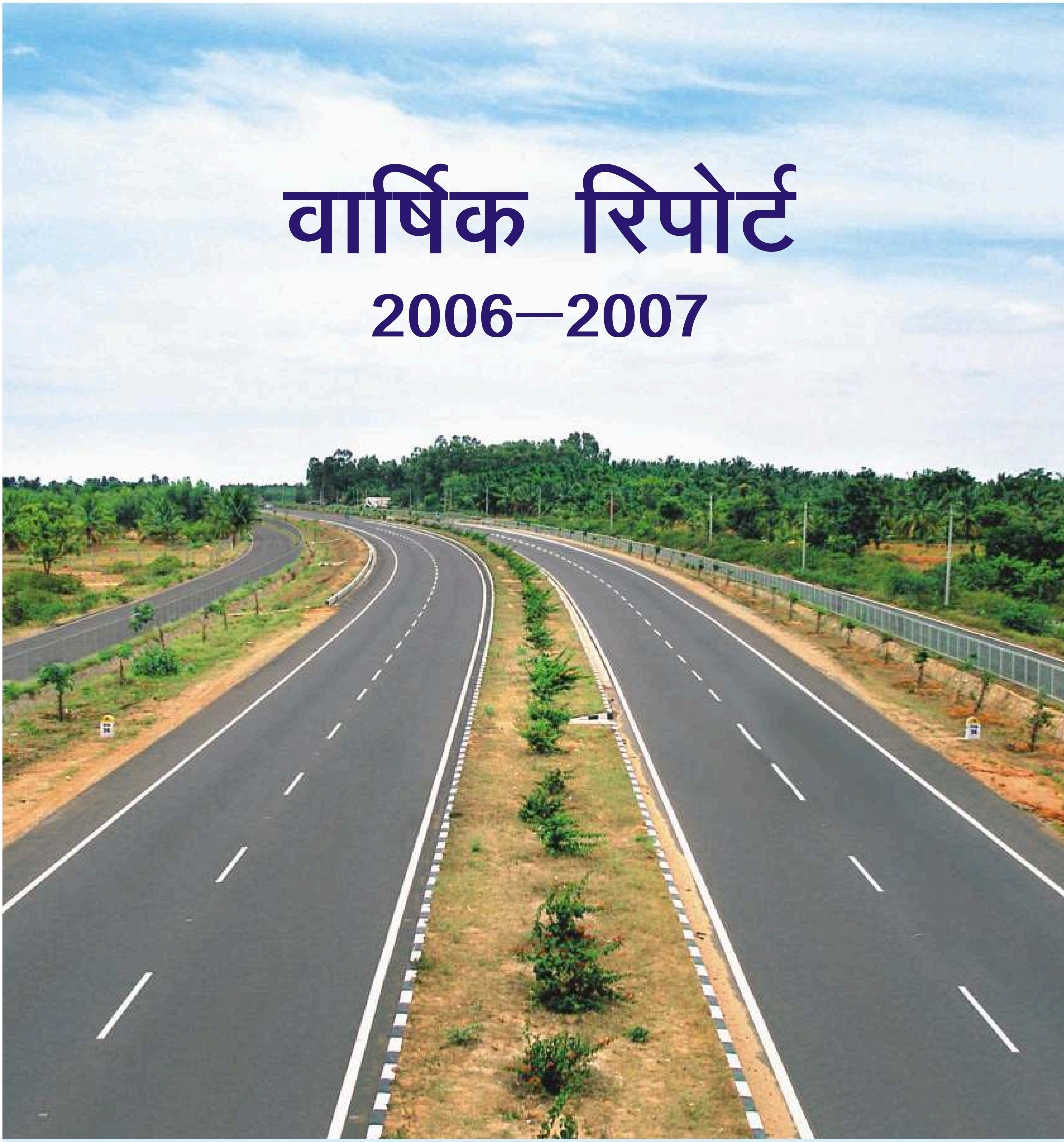

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2006—2007

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली

चैन्नै बाइपास

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ
I	परिचय	1
II	वर्ष एक नजर में	7
III	सड़क विकास	11
IV	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	23
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	29
VI	अनुसंधान और विकास	33
VII	सीमा सड़क संगठन	37
VIII	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	39
IX	प्रशासन एवं वित्त	41
X	सतर्कता	46
XI	संगठन एवं पद्वति और लोक शिकायत निवारण	47
XII	विभागीय लेखा संगठन और ढांचा	49
XIII	विविध	50

अनुबंध

अनुबंध I	निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं की सूची	51
अनुबंध II	देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	58
अनुबंध III	पत्तन सड़क संपर्क परियोजनाएं	60
अनुबंध IV	वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण	61
अनुबंध V	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण – III ख के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण	63
अनुबंध VI	पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण क और ख के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों/जनरल स्टाफ सड़कों की राज्यवार लंबाई	64
अनुबंध VII	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर	65
अनुबंध VIII	अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	67
अनुबंध IX	वर्ष 2005–2006 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति	68
अनुबंध X	विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत	69
अनुबंध XI	वर्ष 2005 – 2006 में निधियों का उपयोग	71
अनुबंध XII	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश	73

कोलकाता में निर्माणाधीन दूसरा विवेकानंद पुल

अध्याय I

परिचय

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम और केंद्रीय मोटर यान नियमावली के प्रशासन तथा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों आदि के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

1.1.2 श्री टी.आर. बालु पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं तथा श्री के.एच. मुनियप्पा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

सड़क नेटवर्क

1.1.3. भारत का सड़क नेटवर्क 3.32 मिलियन कि.मी. है जो विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत हैं–

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	66590 कि.मी.
राज्यीय राजमार्ग	128000 कि.मी.
प्रमुख और अन्य जिला सड़कें	470000 कि.मी.
ग्रामीण सड़कें	2650000 कि.मी.

1.1.4 राजमार्ग की चौड़ाई के आधार पर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण किया गया है। सामान्यतया, राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल लेन के मामले में लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होती है जबकि बहु–लेन के मामले में यह चौड़ाई 3.5 मीटर प्रति लेन होती है। चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्योरे इस प्रकार हैं–

एकल लेन	21674 कि.मी. (32.55%)
दोहरी/मध्यवर्ती लेन	36936 कि.मी. (55.46%)
चार लेन/छह लेन/आठ लेन	7980 कि.मी. (11.98%)

सड़क परिवहन

1.1.5 सड़कों के द्वारा लगभग 65 प्रतिशत माल भाड़ा यातायात और 86.7 प्रतिशत यात्री यातायात होता है। यद्यपि, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का मात्र लगभग 2 प्रतिशत है, परंतु इन पर कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत यातायात होता है। वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 10.10% की गति से वृद्धि हो रही है। कुल यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा बढ़ रहा है। सन् 1950–51 में कुल माल भाड़ा और यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा क्रमशः 13.8% और 15.4% था और 2004–2005 के अंत तक मालभाड़ा और यात्री यातायात बढ़कर क्रमशः 65% और 86.7% हो जाने का अनुमान है। इसलिए सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वर्तमान और भावी दोनों के लिए यातायात व्यवस्था हो तथा पृष्ठ भू–भागों तक बेहतर पहुँच हो। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक बचत, प्रदूषण में कमी तथा अधिक सड़क सुरक्षा के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का आदेश दिया गया है जबकि अन्य श्रेणी की सड़कों के विकास का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1.1.6 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक चरणबद्ध रूप में शुरू की गई जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में निम्नलिखित अनुमोदित घटक शामिल हैं :–

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–I और II में 2004 के मूल्यों पर 65000 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से लगभग 14,234 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने की परिकल्पना है। इन दोनों चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग, पत्तन सड़क संपर्क और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली–मुंबई–चेन्नै–कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाली 5846 कि.मी. लंबाई शामिल हैं। उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों में 7300 कि.मी. लंबाई शामिल है जो क्रमशः उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में सलेम–कोचीन खंड सहित कन्याकुमारी से तथा पूर्व में सिल्चर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में पत्तन सड़क संपर्क परियोजना भी शामिल है जिसमें देश के 12 महापत्तनों को जोड़ने के लिए 380 कि.मी. सड़कों का सुधार और 945 कि.मी. लंबी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अंतर्गत 22,207 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 4035 कि.मी. के उन्नयन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत शेष 7078 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के रूप में अग्रिम कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत 41,210 करोड़ रु0 की लागत पर 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए 5 अक्तूबर, 2006 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5700 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग तथा

शेष 800 कि.मी. अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड शामिल हैं।

- सरकार ने 2 नवंबर, 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अंतर्गत 16,680 करोड़ रु0 की लागत से नए संरेखण पर पूर्ण पहुंच नियंत्रण सहित 1,000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

1.1.7 प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा 2005–2012 की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक विशाल चरणबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है, इस प्रयोजन के लिए 2,27,258 करोड़ रु0 के निवेश की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I और II को पूरा करने, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 11,113 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III, 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड–शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV, चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों की 6500 कि.मी. लंबाई को 6 लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V, 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े शहरों के लिए रिंग रोड़ों और बाइपासों, पुलों आदि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी–एन ई)

1.1.8 इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के सड़क संपर्क में सुधार करने की परिकल्पना है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 7616 कि.मी. सड़कों का सुधार शामिल है जिसमें 3228 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 4388 कि.मी. राज्यीय सड़कें शामिल हैं। इस कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार ने चरण–क के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें 1110 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 200 कि.मी. राज्यीय सड़कें/जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं तथा चरण–ख के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें 2118 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 4188 कि.मी. राज्यीय सड़कें/जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं।

सार्वजनकि–निजी क्षेत्र की भागीदारी

1.1.9 विगत में, सरकार द्वारा ही सड़क अवसंरचना विशेषकर राजमार्गों में निवेश किया जा रहा था ऐसा मुख्यतः अत्यधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाह्य कारकों की वजह से किया जाता था। हाल ही में संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधकीय दक्षता एवं उपयोक्ता की सजगता के कारण निजी क्षेत्र की भी सक्रिय भागीदारी हुई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट और सड़क निर्माण उपस्करों और मशीनरी के शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय

राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–III से चरण–VII तक की सभी उप–परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण अथवा वार्षिकी आधार पर सार्वजनिक–निजी भागीदारी से शुरू की जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II में परिकल्पित निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाया गया है।

केंद्रीय सड़क निधि

1.1.10 केंद्र सरकार ने पेट्रोल और हाई–स्पीड डीजल तेल पर उपकर लगाकर केंद्रीय सड़क निधि नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है। इस समय यह 2 रुपए/– प्रति लीटर है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, यह धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल उपरि पुलों/नीचे (अन्डर ब्रिज) के निर्माण/विकास और अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए वितरित की जाती है। इस निधि में जमा धनराशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाता है:–

(i) 1.50 रु0 की उपकर राशि इस प्रकार आबंटित की जा रही है:–

(क) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए।

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का बकाया 50% और पेट्रोल पर एकत्रित संपूर्ण उपकर का आबंटन इस प्रकार किया जाता है:

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए।
- 12.5% के बराबर धनराशि सड़क उपरि/नीचे पुलों के निर्माण तथा मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा कार्य के लिए।
- 30% के बराबर धनराशि राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए। इसमें से 10% धनराशि राज्यों को अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु आबंटित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है।

(ii) शेष 0.50 रु0 प्रति लीटर उपकर (कुल 2.00 रु0 में से) का आबंटन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही किया जाता है।

1.1.11 इस विभाग को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि अनुमोदन और जारी करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के मानक और विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

सड़क सुरक्षा

1.1.12 यह विभाग देश के सड़क सुरक्षा रिकार्ड में सुधार की आवश्यकता भी महसूस करता है। सड़क सुरक्षा के तीन पहलू हैं अर्थात् इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा। राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी से संबंधित पहलू का ध्यान रखा जाता है। सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन पहलू के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जिम्मेदार होती हैं। सड़क सुरक्षा के शिक्षा पहलू पर राज्यों और गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी से प्रिंट, श्रव्य और दृश्य–श्रव्य मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग – 5 का टुनी – अंकापल्ली खंड

अध्याय II

वर्ष एक नजर में

सड़क विकास

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

दिसंबर, 2006 तक स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल 5501 कि.मी. (94.10%) लंबाई पूरी कर ली गई है और शेष 345 कि.मी. में कार्य चल रहे हैं।

2.1.2 31 दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार उत्तर–दक्षिण पूर्व–पश्चिम महामार्ग की कुल 7300 कि.मी. (वास्तव में 7200 कि.मी.) लंबाई में से 882 कि.मी. की लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 5352 कि.मी. में कार्य चल रहा है और शेष 967 कि.मी. लंबाई के लिए कार्यों को चरणों में सौंपा जाना है।

बी ओ टी (पथकर) परियोजनाएं

2.1.3 लगभग 17,247.46 करोड़ रु0 के अनुमानित मूल्य पर 69 परियोजनाएं (पथकर आधारित) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर सौंपी गई हैं। जनवरी, 2007 तक इनमें से 28 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 41 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

बी ओ टी (वार्षिकी) परियोजनाएं

2.1.4 लगभग 7694.62 करोड़ रु0 के अनुमानित मूल्य पर 20 परियोजनाएं वार्षिकी आधार पर शुरू की गई हैं। इनमें से 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

2.1.5 बी ओ टी परियोजनाओं की सूची **अनुबंध–I** में दी गई है।

2.1.6 इस समय, पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर 2.00 रुपए प्रति लीटर का उपकर वसूला जा रहा है। इसमें से 7942.91 करोड़ रु0 (राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 6407.45 करोड़ रु0 तथा राज्यीय सड़कों के लिए 1535.46 करोड़ रु.) प्रदान किए गए हैं। इसके साथ–साथ राज्यीय सड़कों के लिए सकल बजटीय सहायता से 30.54 करोड़ रु0 की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान अंतराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए 170.61 करोड़ रु0 आबंटित किए गए हैं।

2.1.7 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अंतर्गत कुल 4000 कि.मी. लंबाई में से 30 कि.मी. में पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी है, 1296 कि.मी. में कार्य चल रहा है और शेष 2674 कि.मी. लंबाई के लिए ठेके दिसंबर, 2006 तक सौंपे जाने हैं।

2.1.8 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर मौजूदा चार लेन वाले 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए सरकार

ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 6 लेन बनाऐ जाने वाली 6500 कि.मी. की लंबाई में स्वर्णिम चतुर्भुज की 5700 कि.मी. लंबाई और शेष लंबाई में अन्य खंड शामिल हैं। 1225 कि.मी. लंबाई साध्यता अध्ययन के लिए पहले ही सौंप दी गई है और 180 कि.मी. के लिए निविदाओं की जांच की जा रही है। 148 कि. मी. लंबाई बी ओ टी आधार पर सौंपी गई है और शेष लंबाई को बी ओ टी आधार पर सौंपने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2.1.9 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अंतर्गत 16,680 करोड़ रु0 की लागत से नए संरेखणों पर पूर्ण पहुँच नियंत्रण सहित 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.1.10 वर्ष के दौरान दिसंबर, 2006 तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1696.94 कि.मी. लंबाई के लिए 11963.33 करोड़ रु0 लागत के 38 ठेके सौंपे गए हैं।

2.1.11 कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन और आंतरिक प्रक्रिया में शीघ्र सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।

2.1.12 अवसंरचना संबंधी समिति ने एक समर्पित सुरक्षा निधि की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आंबटित उपकर राजस्व का 1 प्रतिशत जमा किया जाएगा। पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस राशि के वितरण के ब्योरे पर विचार विमर्श किया गया। समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

2.1.13 चूककर्त्ता ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन 17 ठेकेदारों जिन्हें पहले कार्य न करने वाले (नॉन पर्फोमिंग) ठेकेदारों के रूप में घोषित किया गया था उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है जब तक कि वे विद्यमान ठेकों में अपने कार्य निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

2.1.14 विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम की अलग–अलग उप–परियोजनाओं के अनुमोदन और समन्वय के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। सरकार ने 27 दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के चरण–क के अंतर्गत 1140.00 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 452 कि.मी. लंबाई की विभिन्न उप–परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

सड़क परिवहन

2.1.15 डब्ल्यू पी–29 (वाहन विनियमों को समरूप बनाने के लिए विश्व मंच) करार 1998 में भारत 21 अप्रैल, 2006 को शामिल हो गया है। इस करार में शामिल हो जाने से देश मोटर वाहनों के उत्सर्जन और सुरक्षा विनियमों में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपना सकेगा और इस संबंध में विश्व मानकों को तैयार करने में भागीदार बन सकेगा। इससे देश स्वदेश में निर्मित वाहनों अथवा देश में आयातित वाहनों के लिए सुरक्षा और पर्यावरण निष्पादन के बेंच मार्क निर्धारित कर सकेगा। स्वदेशी वाहन विनिर्माता विदेशी बाजारों में तकनीकी अवरोधों के प्रति किसी भय के बगैर विश्व बाजार में प्रवेश कर सकेंगे।

2.1.16 भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसरण में अमृतसर–लाहौर तथा अमृतसर – ननकाना साहिब के बीच दो बस सेवाएं क्रमशः जनवरी, 2006 और फरवरी, 2006 में शुरू की गई हैं।

2.1.17 सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए स्माट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। राज्य सरकारें इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं। अब तक चार राज्यों अर्थात् दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा में स्मार्ट कार्ड आधारित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और तीन राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। शेष राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है।

2.1.18 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की नौवीं बैठक और परिवहन विकास परिषद की 31वीं बैठक 22 सितंबर, 2006 को शिमला में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्री, पुलिस महानिदेशक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (परिवहन), परिवहन प्रचालक संगठनों के प्रतिनिधियों, सड़क सुरक्षा संबंधी गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों ने भाग लिया।

2.1.19 बस बॉडी कोड सा.का.नि. संख्या 589 (अ), 16 सितंबर, 2005 के तहत अधिसूचित किया गया था। ये कोड, एक वर्ष बाद जब बस बॉडी निर्माताओं की प्रत्यायन प्रणाली जिसका कार्य चल रहा है, के स्थापित होने के बाद लागू होंगे।

2.1.20 वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करने तथा सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2005 बनाने के लिए 7 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। यह विधयेक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस समिति ने सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा अन्य स्टेक होल्डरों के मौखिक साक्ष्य लेने के पश्चात् 21 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों की जांच की गई है तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से संशोधित विधेयक अर्थात् सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2006 को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचार के लिए शीघ्र ही मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जा रहा है। इस विधान के अधिनियमन से परिवहन प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा सड़क द्वारा माल परिवहन की व्यवस्था और प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

2.1.21 सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के संबंध में एक अलग निकाय की स्थापना पर विचार और सिफारिश करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के प्रतिष्ठित सदस्य, श्री एस.सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

2.1.22 1–7 जनवरी, 2007 तक पूरे देश में 18वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसका विषय था – 'सडक सुरक्षा, जीवन रक्षा'। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सभी स्टेक होल्डरों ने उचित ढंग से यह सप्ताह मनाया।

2.1.23 सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए कुल 120 गैर सरकारी संगठनों को 1.43 करोड़ रु0 का सहायता अनुदान दिया गया है।

2.1.24 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण योजना के तहत 53,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 का जयपुर किशनगढ़ खंड

अध्याय III

सड़क विकास

यह विभाग मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। तथापि, राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क अथवा आर्थिक महत्व स्कीम के तहत् कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी धनराशि प्रदान करती है। यह विभाग सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

3.1.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 66,590 कि.मी. है। राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची **अनुबंध–II** में दी गई है।

3.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता बाध्यता, मार्ग की बाह्य सतह (पेवमेन्ट क्रस्ट), ज्यामितीय और सुरक्षा कारकों जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर आवश्यकता के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देकर वर्तमान राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करके, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करके और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। यद्यपि, सरकार, राजमार्ग क्षेत्र में परियोजना के लिए अधिक बजटीय आबंटन उपलब्ध करा रही है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त धनराशि आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रम और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली धनराशि से कुछ हद तक संसाधनों की कमी पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.1.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

3.1.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, अधिक से अधिक 5 पूर्ण कालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। पूर्णकालिक सदस्य इस प्रकार हैं:–

राष्ट्रीय राजमार्ग – 76 का उदयपुर – चित्तौड़गढ़ खंड

(i)	सदस्य (प्रशासन)	1
(ii)	सदस्य (वित्त)	1
(iii)	सदस्य (तकनीकी)	3

अंशकालिक सदस्य हैं:–

(i)	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1
(ii)	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	1
(iii)	सचिव, योजना आयोग	1
(iv)	महानिदेशक (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1

3.1.6 मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप–महाप्रबंधक और प्रबंधक के स्तर के अधिकारियों द्वारा सदस्यों की सहायता की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ है जिनके प्रमुख परियोजना निदेशक होते हैं। सिविल ठेकेदारों का चयन, पर्यवेक्षक, परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि से संबंधित सभी कार्य मुख्य कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। परियोजना निदेशक परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी के अलावा, भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण और केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के साथ संपर्क सहित निर्माण पूर्व कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन

3.1.7 भारत सरकार ने अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2,20,000 करोड़ रु0 के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों वाली विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नए चरणों को मुख्यतः सार्वजनिक – निजी भागीदारी से कार्यान्वित किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस आवर्धित जिम्मेदारी का निवर्हन प्रभावी और कारगर ढंग से पूरा करे सके, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है। सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

कॉरीडोर प्रबंधन

3.1.8 राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों का अनुरक्षण और प्रचालन निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ कॉरीडोर प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है:–

- नेमी और आवधिक अनुरक्षण
- सड़क संपत्ति प्रबंधन
- घटना प्रबंधन

राष्ट्रीय राजमार्ग – 5 का कावली – नेल्लौर खंड

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 का पानागढ़ – पलसिट खंड

- इंजीनियरी सुधार
- पथकर शुल्क वसूली
- मार्गस्थ सुविधाएं

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:–

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– I और II

3.1.9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग, पत्तन सड़क संपर्क तथा अन्य परियोजनाओं के तहत लगभग 14,471 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य शामिल है। लंबाई का विवरण निम्नलिखित है :–

स्वर्णिम चतुर्भुज

3.1.10 स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल 5846 कि.मी. लंबाई को 30,300 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत (1999 के मूल्यों) पर दिसंबर, 2000 में अनुमोदित किया गया था। इसके अधिकांश कार्य 2002 में सौंपे दिए गए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज का 94 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग

3.1.11 उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग की कुल लंबाई 7300 कि.मी. है। दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग की 882 कि.मी. लंबाई में 4/6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 5352 कि.मी. में यह कार्य चल रहा है। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–दक्षिण महामार्ग की शेष लंबाई में कार्य अभी सौंपे जाने हैं। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग को दिसंबर, 2008 तक पूरा किया जाना है।

पत्तन सड़क संपर्क और अन्य परियोजनाएं

3.1.12 पत्तन, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसंरचना हैं। पत्तनों तक और पत्तनों से माल की तेजी से ढुलाई के लिए पत्तनों को अच्छी सड़कों के माध्यम से अन्य आर्थिक केंद्रों से जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए दिसंबर, 2000 में देश के सभी 12 महापत्तनों अर्थात् कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नै, तूतीकोरिन, कोचीन, मंगलूर, मुरगांव, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई और कांडला पत्तनों के सड़क संपर्कों का विकास और उन्नयन करने का निर्णय लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे सभी महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, द्वारा कांडला पत्तन को जोड़ने वाली परियोजना पूरी कर ली गई है।

3.1.13 दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, लगभग 135 कि.मी. पत्तन सड़क संपर्क और 287 कि.मी. अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 224 कि.मी. पत्तन सड़क संपर्क और 638 कि.मी. अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने का कार्य चल रहा है तथा शेष कार्य अभी सौंपा जाना है। पत्तन संपर्क परियोजनाओं के ब्योरे **अनुबंध–III** में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क

3.1.14 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अंतर्गत 22,207 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से बी ओ टी आधार पर 4035 कि.मी. में चार लेन बनाने के लिए अनुमोदन दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अंतर्गत दिसंबर, 2006 तक 1296 कि.मी. लंबाई के 17 बी ओ टी ठेके सौंप दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क को दिसंबर, 2009 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यीय लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.1.15 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, लगभग 49,214 कि.मी. लंबे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य इस समय लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सड़क खंडों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, के संबंध में दिसंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 564.45 करोड़ रु. के व्यय वाले 163 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

3.1.16 चालू वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1550.30 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि से भी 90.00 करोड़ रु0 की राशि आबंटित की गई है।

3.1.17 राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2006–07 में क्रमशः 717.54 करोड़ रु0 और 22.28 करोड़ रु0 की राशि का आबंटन किया गया है।

3.1.18 वर्ष 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन **अनुबंध–IV** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

3.1.19 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और सुदूर स्थलों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 3228 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेन का बनाने, लगभग 2500 कि.मी. राज्यीय सड़कों तथा सामरिक महत्व की 1888 कि.मी. सड़कों को दो लेन का बनाने/सुधारने की परिकल्पना है। इससे 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 85 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय सड़कों से जोड़ा जा सकेगा।

3.1.20 इस कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित किया गया है :–

चरण क

इसमें 1110 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 200 कि.मी. राज्यीय/जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं जिनकी अनुमानित लागत 4618 करोड़ रु0 है। 1110 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों में से 603 कि.मी. का निष्पादन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर किया जाना है। 454 कि.मी. में कार्यान्वयन/निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे मार्च, 2009 तक पूरा करने का संभावित लक्ष्य रखा गया है।

चरण ख

इसमें 2118 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 4188 कि.मी. राज्यीय/जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और सरकार द्वारा निवेश के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

3.1.21 सरकार ने चरण–क के कार्यान्वयन और चरण–ख में सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कठिनाइयां

3.1.22 इस परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय कई कठिनाइयां आई हैं जो निम्नवत हैं :–

- **भूमि अधिग्रहण** – कुछ राज्यों में, प्रक्रियागत औपचारिकताओं, न्यायिक मामलों तथा संबंधित राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलंब हुआ है।
- **वन एवं पर्यावरण अनुमतियां** – केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर वन अनुमति प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ है।

- **आर ओ बी डिजाइनों के लिए रेलवे की अनुमति** – स्वर्णिम चतुर्भुज को रेलवे की लेवल क्रासिंग से मुक्त करने के लिए 84 रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज बनाए जाने हैं। रेलवे से अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेलवे के ही कई विभागों से संपर्क करना पड़ता है। इस तरह आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

- **सुविधाओं का स्थानांतरण** – विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे इलैक्ट्रिक लाइन, पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन, दूरसंचार लाइनों का स्थानान्तरण संबंधित सुविधा प्रदाता एजेंसी की सहायता से करना होता है और इस कार्य में बहुत ज्यादा समय लगता है।

- **कानून और व्यवस्था की समस्या** – कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण कई राज्यों में कार्य प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनता द्वारा और अधिक भूमिगत पारपथों/बाइपासों, फ्लाईओवरों की मांग किए जाने के कारण बार–बार काम रोका जाना सामान्य बात है।

- **कुछ ठेकेदारों का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन** – कुछ ठेकेदारों का कार्य निष्पादन बहुत ही खराब रहा है। इस खराब कार्य निष्पादन का मुख्य कारण नकदी आप्रवाह की समस्या रहा। इन ठेकों को समाप्त किए जाने के कारण लंबे–लंबे मुकद्दमें चले और कार्य पूरा करने में और अधिक विलंब हुआ।

केंद्रीय सड़क निधि

3.1.23 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2006–07 के लिए 12,550.00 करोड़ रु0 के आबंटन का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है :–

तालिका 3.1
केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन

(करोड़ रुपए में)

1.	राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	1535.46
2.	अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	170.61
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	6407.45
4.	ग्रामीण सड़कें	3725.62
5.	रेलवे	710.86
	जोड़	12550.00

3.1.24 राज्यों द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा की गई राशि बाद में विभिन्न राज्यों को 60 प्रतिशत ईंधन की खपत और 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर आबंटित कर दी जाती है।

3.1.25 वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के संबंध में जमा और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है :–

तालिका 3.2
जमा धनराशि और जारी की गई धनराशि

वर्ष	2000–01		2001–02		2002–03	
	जमा	जारी	जमा	जारी	जमा	जारी
करोड़ रु0	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06	
	जमा	जारी	जमा	जारी	जमा	जारी
करोड़ रु0	910.76	778.94	868.00	738.36	1535.36	1299.27
वर्ष	2006–07					
	जमा			जारी		
करोड़ रु0	1535.46**			883.84*		

*दिसंबर, 2006 तक

** इसके अतिरिक्त, राज्यों को सकल बजटीय सहायता से 30.54 करोड़ रु0 की राशि राज्यीय सड़कों के लिए आबंटित की गई है।

केंद्रीय सड़क निधि के तहत् राज्यीय सड़कों के लिए स्वीकृति

3.1.26 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत दिसंबर, 2006 तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 983.79 करोड रु. की लागत के 378 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम

3.1.27 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पहले से विद्यमान है। उस समय केंद्रीय ऋण सहायता से केवल कम धनराशि वाले कार्य स्वीकृत किए जाते थे। अब इस स्कीम को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया गया है। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण (ऋण की बजाए) किया जाता है। आर्थिक महत्व स्कीम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण 50–50 प्रतिशत तक किया जाता है।

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीमों के तहत स्वीकृति

3.1.28 इस विभाग ने, आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 281.09 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 562.20 करोड़ रु0 के 105 प्रस्तावों तथा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 857.51 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 857.51 करोड़ रु0 के 177 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश के अनुसार, आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 15.265 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 30.53 करोड़ रु0 के 6 प्रस्तावों तथा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 1.25 करोड रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 1.25 करोड़ रु0 के 2 प्रस्तावों का सैद्धांतिक अनुमोदन वापस ले लिया है।

3.1.29 वर्ष 2006–07 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 170.61 करोड़ रु0 की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2006–07 के दौरान 168.12 करोड़ रु0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 186.81 करोड़ रु0 के 40 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

3.1.30 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।

व्यापक कार्यकलाप

3.1.31 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्यकलाप इस प्रकार हैं–

क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।

ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।

ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम।

घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण।

ड.) देशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

3.1.32 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से लेकर दिसंबर, 2006 तक 531 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 12,202 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया है। ये प्रतिभागी पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों से आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम में विदेशों के सरकारी विभागों के इंजीनियरों ने भी भाग लिया है। इस स्कीम में इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया गया है।

3.1.33 इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 52 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1028 अभियंताओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं शामिल हैं :–

- गुवाहाटी में पर्वतीय सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण।
- गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण।
- गुवाहाटी में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- भुवनेश्वर में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- गुवाहाटी में राजमार्ग परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन।
- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना के संबंध में उड़ीसा लोक निर्माण विभाग और कंसलटिंग ग्रुप लि0 के इंजीनियरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी कार्यक्रम।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों और प्रबंधकों के लिए दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ताजिकिस्तान तकनीकी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं में शामिल वरिष्ठ इंजीनियरों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- तकनीकी सहयोग स्कीम – कोलंबो योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- बंगलौर और कोलकाता में राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के संबंध में कार्यशाला।

सड़क निर्माण में यांत्रिकीकरण और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.1.34 यह आवश्यक है कि सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण में उच्च गुणता मानकों के लिए आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए। तदनुसार, विभाग ने निर्माण और अनुरक्षण कार्य में आधुनिक और परिष्कृत मशीनों को संस्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

3.1.35 पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, ठेकेदारों के पास सामान्यतः आधुनिक सड़क निर्माण उपकरण उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम के पर्वतीय राज्यों में आधुनिक और परिष्कृत मशीनों की खरीद के लिए ठेकेदारों की क्षमता कम है। इसलिए अभी हाल में, विभाग ने ड्रम मिक्स प्लांट, हाइड्रोस्टेटिक सेंसोर, पेवर फिनशर, डीजी सेट, टिपर, डोजर, मिनी टेंडम वायब्रेटरी रोड रोलर, ट्रेक चेन माउंटिड हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर कम लोडर, मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिटस, वे–इन–मोशन कम आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफायर सहित मशीनरी और उपस्कर की खरीद की है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई हैं। वैट मिक्स प्लांट, 100 टी पी एच, पेवर फार वेट मिक्स प्लांट (हाइड्रोलिक), एक्सकेवेटर कम लोडर (1.00 घनमीटर), टिपर, वाटर टैंकर (10 के एल), ट्रेक चेन हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, टेंडम वायब्रेटरी रोड रोलर (8–10 टी), हॉट मिक्स प्लांट (40–60 टी पी एच), जेन सैट (82. 5 के वी ए), वे इन मोशन कम आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफायर, मैकेनिकल पेवर फिनिशर फॉर बिटुमिनस वर्क और मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिटस जैसी कुछ और मशीनें वर्ष 2006–07 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को प्रदान की जाएंगी।

3.1.36 जो मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट पहले खरीदी गई थी और तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात राज्यों में तैनात की गई थी, का उपयोग पुलों के अनुरक्षण और रख रखाव को सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करने के लिए किया गया है। असम, हिमाचल और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2005–06 के दौरान चार मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट खरीदी गई हैं। इन मशीनों का उपयोग पड़ोसी राज्यों द्वारा भी अपनी आवश्यकतानुसार किए जाने की संभावना है।

3.1.37 वाहनों में अधिक भार लदान जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान होता है और राजमार्गों पर दुर्घटनाएं होती हैं, को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए विभाग ने धीमी और

उच्च गति में वाहनों का भार मापने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से नियंत्रित व्यवस्था तथा भार आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए 5 डब्ल्यू आई एम – कम – एटीसीसी प्रणाली खरीदी हैं। ये प्रणाली उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पहले ही भेज दी गई हैं। ये प्रणाली फ्रांस स्थित फर्मों के इंजीनियरों द्वारा शीघ्र ही संस्थापित की जाएंगी। वर्ष 2006–07 के दौरान असम, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए 8 और प्रणालियों की खरीद की जाएगी।

3.1.38 कार्य की बेहतर गुणता सुनिश्चित करने और तेजी से कार्य–निष्पादन के लिए सड़क निर्माण में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में, निजी उद्यमियों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण मशीनरी की विभिन्न 21 मदों को वित्त मंत्रालय के परामर्श से शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

3.1.39 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा उपकरणों और सामग्री के संबंध में सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा का भी लाभ उठाया जा रहा है। इस सुविधा से ठेकेदार परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनों से सुसज्जित हो सकेंगे।

अध्याय IV

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

मालभाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को काफी पसंद किया जाता है और यह एक किफायती साधन है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क मार्ग से 87% यात्री यातायात और 65% मालभाड़ा यातायात होने का अनुमान है। सड़क यातायात अपनाने के कुछ प्रमुख कारक – आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती यात्रा हैं। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन एक पूरक सेवा का कार्य भी करता है।

4.1.2 यह विभाग, पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त, देश में सड़क परिवहन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के कार्य से भी जुड़ा है।

4.1.3 विभाग के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियम/नियम, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति का उल्लेख है, का प्रशासन किया जाता है :–

मोटर यान अधिनियम, 1988

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950

वाहक अधिनियम, 1865

4.1.4 भारत 21 अप्रैल, 2006 को डब्ल्यू पी–29 (वाहन विनियमों को समरूप बनाने के लिए विश्व मंच) के 1998 के करार में शामिल हो गया है। इस करार में शामिल होने से देश, मोटर वाहनों के उत्सर्जन और सुरक्षा विनियमों में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाने और इस संबंध में विश्व मानकों को तैयार करने में भागीदारी करने के लिए समर्थ हो गया है। इससे देश स्वदेशी वाहनों अथवा देश में आयातित वाहनों की सुरक्षा और पर्यावरण निष्पादन के लिए बेंचमार्क निश्चित कर सकेगा। स्वदेशी वाहन विनिर्माता विदेशी बाजारों में तकनीकी अवरोधों के प्रति किसी भय के बगैर विश्व बाजार में प्रवेश कर सकेंगे।

4.1.5 भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसरण में अमृतसर–लाहौर तथा अमृतसर – ननकाना साहिब के बीच दो बस सेवाएं क्रमशः जनवरी, 2006 और फरवरी, 2006 में प्रारंभ की गई हैं। अमृतसर–लाहौर बस सेवा के लिए भारतीय सेवा मंगलवार को अमृतसर से प्रारंभ होती है और बुधवार को लाहौर से वापस आती है। पाकिस्तानी सेवा शुक्रवार को लाहौर से प्रारंभ होती है और शनिवार को अमृतसर से लौटती है। इसी तरह, ननकाना साहिब के लिए भारतीय बस शुक्रवार को अमृतसर से प्रारंभ होती है और शनिवार को वापस लौटती है। इस सेवा के लिए पाकिस्तानी बस मंगवार को ननकाना साहिब से प्रारंभ होती है और बुधवार को अमृतसर से लौटती है।

4.1.6 बस बॉडी कोड 16 सिंतबर, 2005 की सा.का.नि. संख्या 589 (अ) के तहत अधिसूचित किए गए थे। ये कोड एक वर्ष बाद जब बस बॉडी निर्माताओं की प्रत्यायन प्रणाली जिसका कार्य चल रहा है, की स्थापना हो जाने के बाद लागू होंगे।

4.1.7 सड़क परिहवन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 25 राज्यों ने वाहन (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र) में प्रायोगिक परियोजना पहले ही लागू कर दी है और 21 राज्यों ने सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) में प्रायोगिक परियोजना लागू कर दी है। अन्य अनेक राज्य सरकारें इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं। 31 अगस्त, 2004 को केंद्रीय स्तर पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दोनों के लिए समान बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सरकारों के लिए राज्य स्तरीय प्रचालन हेतु समान की तैयार कर ली गई है। अब तक चार राज्यों अर्थात दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा में स्मार्ट कार्ड आधारित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और तीन राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

22 सितम्बर, 2006 को शिमला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की नौवीं बैठक तथा परिवहन विकास परिषद की 31वीं बैठक

4.1.8 वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करने तथा सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2005 बनाने के लिए 7 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक जांच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस समिति ने 21 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों की जांच की गई है। चूंकि समिति ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सिफारिश की है, संसद को पुनः भेजने से पहले इस पर मंत्रिमंडल का नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विधि मंत्रालय के परामर्श से संशोधित विधेयक अर्थात् सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2006 को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया जाएगा। इस विधान के अधिनियम से परिहवन प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा सडक द्वारा माल परिवहन की व्यवस्था और प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

4.1.9 यह विभाग स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा के बारे में जन–जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक क्रिया–कलापों का भी आयोजन करता है। इनमें सेमिनार, कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, होर्डिंग लगाना, प्रचार सामग्री का मुद्रण तथा सड़क सुरक्षा संदेशों के प्रचार के लिए प्रिन्ट, श्रव्य और दृश्य – श्रव्य मीडिया का उपयोग शामिल है।

4.1.10 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों के लिए 17 कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को सड़क परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण पहलुओं के संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में प्रशिक्षण देना है।

4.1.11 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की नौंवी बैठक और परिवहन विकास परिषद की 31वीं बैठक 22 सितंबर, 2006 को शिमला में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्री, पुलिस महानिदेशक, परिहवन प्रचालन संगठनों के प्रतिनिधियों, सड़क सुरक्षा संबंधी गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन बैठकों के विचार–विमर्श के अनुसरण में दो समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां देश में सड़क सुरक्षा संबंधी जन–जागरूकता बढ़ाने के उपाय और देश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल अभिघात चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत, वित्तीय और विधायी व्यवस्था के बारे में सुझाव देंगी। दोनों समितियों द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्टें पेश की जाएंगी।

सड़क सुरक्षा

4.1.12 यह विभाग सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करता है। विभाग द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान आदि शामिल हैं।

4.1.13 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए–

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में जन जागरूकता अभियान चलाए गए। इन अभियानों में सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश के साथ कलैंडर का मुद्रण, रेडियों झलकियों का प्रसारण, कंप्यूटरीकृत सजीव प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा संबंधी टी.वी. झलकियां प्रसारित की जा रही हैं। सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता लाने के लिए आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में झलकियों का प्रसारण किया जा रहा है। कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर आदि जैसी प्रचार सामग्री वितरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 120 गैर–सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से 1 से 7 जनवरी, 2007 तक 18वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार इसका विषय था ''सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा''।

- असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष 53,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

- आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नगालैंड के लिए एक नया स्कूल स्वीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए एक अन्य नए चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्वीकृति पर कार्रवाई चल रही है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं ताकि दुर्घटना स्थल को क्लियर किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 क्रेनें प्रदान की गईं। चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को 71 एंबुलेंस प्रदान की जाएंगी।

- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए गैर–सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। गैर–सरकारी संगठन की श्रेणी में विजेता को एक लाख रु0 और व्यक्तिगत श्रेणी में 50,000/–रु0 प्रदान किए जाते हैं। उप–विजेता के लिए गैर सरकारी वर्ग के अंतर्गत पुरस्कार राशि 30,000 रु0 और व्यक्तिगत वर्ग के अंतर्गत 15,000 रु0 है। व्यक्ति की श्रेणी में श्री भरत दिनकर कलस्कर, उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायगढ़ महाराष्ट्र को व्यक्तिगत श्रेणी में चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में श्री चांदमल मोतीलाल परमार, पुणे, महाराष्ट्र उप–विजेता रहे। इसी

तरह, गैर–सरकारी संगठन की श्रेणी में डा0 एम0एन0 टंडन मैमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता रहे जबकि इस श्रेणी में लाइफ लाइन फाउंडेशन, वडोदरा, गुजरात उप–विजेता रही।

पूर्वोतर राज्यों में पहल

4.1.14 सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिन 120 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 14 पूर्वोत्तर राज्यों से हैं।

गुवाहाटी बाइपास

अध्याय V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

यह विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान देता रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुल आबंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6880 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण कार्य तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 6880 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 3191 कि.मी. लंबाई सीमा सड़क संगठन के पास है और 2939 कि.मी. लंबाई संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के पास है। शेष 750 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

5.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2006–07 (31 दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके विकास तथा अनुरक्षण कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं:–

(I)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –III ख के अंतर्गत लंबाई	1051 कि.मी.
(II)	विशेष त्वरित सड़क विकास परियोजना – पूर्वोत्तर क्षेत्र	
	के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई :	
	चरण 'क'	1110 कि.मी.
	चरण 'ख'	2118 कि.मी.

5.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के ब्योरे **अनुबंध–V** में दिए गए हैं।

5.1.4 विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम – पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों और जनरल स्टॉफ (जी एस) सड़कों की लंबाई के राज्यवार ब्योरे **अनुबंध–VI** में दिए गए हैं।

5.1.5 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 133.81 करोड़ रुपए की धनराशि की 24 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.1.6 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 387.61 करोड़ रुपए की धनराशि के 186 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.7 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत स्वीकृत 376.56 करोड़ रु0 के 100 कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे इस प्रकार हैं:–

अरूणाचल प्रदेश

5.1.9 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, 20.62 करोड़ रुपए के पांच सुधार कार्य प्रगति पर हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग के पास 32.6 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 26 किलोमीटर में पहले ही सुधार कार्य किया जा चुका है और शेष लंबाई में यह कार्य प्रगति पर है।

5.1.10 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 94.21 करोड़ रुपए के 30 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.11 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 23.73 करोड़ रुपए के दो कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, 9.78 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत का एक कार्य 2005–06 के दौरान सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया है।

असम

5.1.12 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 8.12 करोड़ रुपए के 2 सुधार कार्यों सहित 106.49 करोड़ रु0 के 32 सुधार कार्य चल रहे हैं।

5.1.13 असम–पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित श्रीरामपुर से प्रारंभ होकर असम में गुवाहाटी, नगांव और सिल्चर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जिनमें रा.रा. 31ग, 31, 37, 36 और 54 शामिल हैं, की 678 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्व–पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत आती है। 18 कि. मी. सड़क खंड में कार्य पूरे हो गए हैं और 629 कि.मी. में कार्य सौंपे जा चुके हैं। शेष 31 कि.मी. खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

5.1.14 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 150.75 करोड़ रु0 के 70 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.15 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 16.26 करोड़ रुपए की लागत के 7 कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.16 सरकार ने ''विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम – पूर्वोत्तर क्षेत्र'' के चरण 'क' के अंतर्गत असम में नगांव से डिब्रुगढ़ (315 कि.मी.) तक राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 को बी. ओ. टी. (वार्षिकी) आधार पर 4 लेन का बनाने और 507 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल लेन खंडों को पेव्ड शेल्डर के साथ दो लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मणिपुर

5.1.17 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, 9.79 करोड़ रुपए की लागत के 3 पुल कार्यों सहित 67.29 करोड़ रु0 के 24 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.18 केंद्रीय सडक निधि के अंतर्गत 24.41 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की लागत की दो स्कीमें सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित की गई हैं। आर्थिक महत्व की स्कीम के लिए प्राक्कलन

प्राप्त हो गए हैं और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से अभी प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

मेघालय

5.1.19 30 नवंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, 86.25 करोड़ रुपए के 22 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.20 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक 42.46 करोड़ रुपए के 19 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 4.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक पुल कार्य प्रगति पर है। आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 7.00 करोड़ रु0 का एक अन्य कार्य और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपए का एक और कार्य वर्ष 2005–06 के दौरान सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया जबकि राज्य लोक निर्माण विभाग से इसके प्राक्कलन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

मिजोरम

5.1.21 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, 55.63 करोड़ रुपए के 8 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.22 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 21.18 करोड़ रुपए की धनराशि के 24 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 5.39 करोड़ रुपए का एक कार्य प्रगति पर है। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 18.87 करोड़ रु0 लागत से स्वीकृत एक कार्य जो वर्ष 2004–05 में सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया था, प्रगति पर है और 14.81 करोड़ रु0 के दो कार्य (आर्थिक महत्व के अंतर्गत एक और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत एक) सिद्धांत रूप में अनुमोदित किए गए हैं जबकि राज्य लोक निर्माण विभाग से इनके प्राक्कलन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

नगालैंड

5.1.23 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, 37.37 करोड़ रुपए के 9 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.24 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 28.56 करोड़ रुपए के 11 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क–संपर्क स्कीम के अंतर्गत 20.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 3 कार्य प्रगति पर हैं। आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 33.43 करोड़ रुपए के 4 कार्य हाल ही में अनुमोदित किए गए हैं और जो प्रगति पर हैं। 24.33 करोड़ रु0 का एक कार्य आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया है।

सिक्किम

5.1.25 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 12.67 करोड़ रु. के 16 कार्य शुरू किए गए हैं। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 16.51 करोड़ रु0 की लागत के 3 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 2006–07 के दौरान 34.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 2 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अंतर्राज्यीय सड़क सपर्क स्कीम के अंतर्गत 2006–07 के दौरान 12.00 करोड़ रु0 के 2 कार्य सिद्धांत रूप में अनुमोदित किए गए हैं।

त्रिपुरा

5.1.26 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 13.22 करोड़ रुपए के 6 कार्य शुरू किए गए हैं। आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 14.89 करोड़ रुपए के 3 कार्य प्रगति पर हैं।

अध्याय VI

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी टिकाऊ सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम सड़क अवसंरचना से की जा सके। इस रणनीति के विभिन्न घटकों में डिजाइन में सुधार, निर्माण तकनीक का आधुनिकीकरण, नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप बेहतर सामग्री का प्रयोग, बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। नए दिशा–निर्देशों, पद्धति संहिता, अनुदेशों/परिपत्रों के प्रकाशन, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन तथा सेमिनार/प्रस्तुतीकरण आदि के जरिए इनका प्रचार–प्रसार किया जाता है। विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः ''अनुप्रयुक्त'' स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं। इनमें सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि क्षेत्र आते हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए यह विभाग विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है।

6.1.2 वर्ष 2006–07 में अनुसंधान और विकास के लिए 600.00 लाख रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2005–06 में पूरी की गई अनुसंधान और विकास स्कीमें

सड़कें

- पेवमेंट ओवरलेज़ के निष्पादन में सुधार करने के लिए जिओसिन्थेटिक्स का उपयोग करना (आर–41)

पुल

- देश में उपलब्ध सामग्री से निर्मित पुलों और पेवमेंट के लिए उच्च निष्पादन कंक्रीट के उपयोग हेतु विनिर्देशों का मसौदा तैयार करना (बी–32)।

पूरी होने वाली स्कीमें

सड़कें

- राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 के कानपुर–वाराणसी खंड पर बिटुमिनस की ऊपरी परत में परावर्तक दरार रोकने के लिए इंटर–लेयर के तौर पर जिओसिन्थेटिक्स पेवमेंट रीइनफोरसिंग फैब्रिक का उपयोग करना (आर–63)।

- 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मैनुअल का मुद्रण करना (आर–84)

पुल

- केबल आधारित पुल डेक की एयरोडायनैमिक स्थिरता के लिए अध्ययन। (बी–25)
- हाई स्ट्रीम वेलोसिटीज के तहत् बोल्ड्री में स्कोर डैप्थ (जनरल बैड चैनल कांट्रेक्शन और पुल पियर) का निर्धारण। (बी–33)

चालू वर्ष में विचाराधीन स्कीमें

सड़कें

- देश में राजमार्ग प्रणाली के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय की चेयर की स्थापना करना।
- मॉडीफाइड बाइंडर के साथ बिटुमिनस मिक्स के प्रयोग की जांच करना (आर–85)।
- राजमार्ग इंजीनियरी में सोएल नेलिंग टेक्नीक के लिए दिशा–निर्देश (आर–86)।
- प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा समर्थित इंस्ट्रुमेंटेशन का प्रयोग करके उच्च यातायात सघनता वाले कॉरीडोरों पर रिजिड पेवमेंट के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान एवं विकास अध्ययन करना (आर–87)

यातायात और परिवहन

- जी आई एस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली का विकास करना (टी–5)।
- सड़क अवसंरचना पर अधिक भार लदान के प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करना (टी–6)।

पुल

- सी आर आर आई में विस्तार जोड़ों के लिए सभी प्रकार की परीक्षण सुविधाओं की स्थापना (बी–34)।

विचाराधीन प्रस्ताव

सड़कें

- फालिंग वेट डिफलेक्टोमीटर और बैंकलमैन बीम का उपयोग करके फलैक्सिबल पेवमेंट का संरचनात्मक मूल्यांकन करना और युक्तिसंगत डिजाइन पद्धति का विकास करना।
- बिटुमिनस बाइंडर की आयु की जांच करना।
- सड़क तथा तटबंध निर्माण के लिए फलाई ऐश एग्रीगेट का उपयोग करना।
- जिओसिंथेटिक्स युक्त काली कपासी मिट्टी के क्षेत्रों में पेवमेंट के क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से डिजाइन और निर्माण मैनुअल का विकास करना।

पुल

- प्रीडोमीनेंटली क्लेई स्ट्रेटा का निर्धारण करना।
- विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में पुलों की रीट्रोफिटिंग के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।
- भारत में जटिल पर्यावरणीय परिस्थितियों में टिकाऊपन की दृष्टि से कंक्रीट पर कोटिंग की विभिन्न किस्मों का निष्पादन मूल्यांकन करना।
- पुलों की अवशिष्ट क्षमता के आकलन के लिए स्टेटिक और डायनमिक रेसपोंस टेस्ट डाटा का उपयोग करके क्षति खोज प्रणाली विकसित करना।
- राजमार्ग पुलों की मानक डिजाइन और योजना का विकास तथा विभिन्न किस्म की अधिसंरचनाओं के लिए विद्यमान मानक रूपरेखा में संशोधन करना।
- पुलों की डिजाइन के लिए विद्यमान लाइव लोड को युक्तिसंगत और सरल बनाने और आंशिक भार कारक तैयार करने के लिए उपलब्ध धुरी भार सर्वेक्षण डाटा के साथ वास्तविक समय यातायात डाटा संग्रहण करना और उनका विश्लेषण करना।
- स्टील कंक्रीट कंपोजिट बाक्स गरडर पुलों की डिजाइन के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना।
- नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग पुलों का डाइगनोस्टिक कोरोजन इंस्पेक्शन करना।
- गोवा में माण्डवी नदी के पुराने और नए पुलों पर और अधिक निगरानी रखना।

परिवहन अनुसंधान

6.1.3 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के विभिन्न पक्षों को अपेक्षित अनुसंधान सामग्री और उसका विश्लेषण तथा डाटा सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह नीति योजना, समन्वय और सड़क परिवहन के निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।

6.1.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, सड़क परिहवन, पत्तनों, नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, वितरण और विश्लेषण भी करता है। यह डाटा विभिन्न स्रोतों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से मंगाया जाता है। विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है तथा उनकी वैधता का पता लगाया जाता है और परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशन निकाले जाते हैं। यह पक्ष डाटा बेस के निर्माण और सुदृढ़ीकरण, सूचना अंतर के अभिनिर्धारण तथा सूचना की विश्वसनीयता और यथार्थता में सुधार करने के उपाय भी कर रहा है।

6.1.5 सड़क परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन अनुसंधान पक्ष पहले 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी' प्रकाशन निकाला करता था जिससे देश में पंजीकृत मोटर वाहनों के विभिन्न पहुलओं के बारे में आकंड़े दिए जाते थे। सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसके योगदान को

ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक और विश्लेषणपरक प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी' के स्थान पर 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका–2003–04' नामक एक नया प्रकाशन निकाला गया जिसकी शुरूआत वर्ष 2005 में हुई। इस प्रकाशन में विभिन्न मोटर परिवहन मापदंड के आंकड़ों के अतिरिक्त, सड़क परिवहन क्षेत्र के विभिन्न पहलू पर सूचना, यातायात के इंटर मॉडल शेयर, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान आदि से संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं। 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका –2004–05' के दूसरे अंक के प्रकाशन से संबंधित कार्य चल रहा है।

6.1.6 परिवहन अनुसंधान पक्ष, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के आकलन और उस पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण भी करता है। यह सूचना तिमाही आधार पर 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' में प्रकाशित की जाती है ताकि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्य–निष्पादन पर निगरानी रखी जा सके। परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा जून, 2005 और सिंतबर 2005 को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रकाशन निकाले गए।

6.1.7 देश के लिए दुर्घटना सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना चल रही है। इस परियोजना के लिए, देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 23 महानगरों के लिए सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में एकत्रित, संकलित और मिलाए जाते हैं। वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 के लिए आंकड़े पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं और 2005 के लिए ये आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

अध्याय VII

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक छोटा सा अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है। इसने केवल दो परियोजनाओं–पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना वरतक रखा गया) और पश्चिम में परियोजना बेकॉन पर कार्य करने के साथ मई, 1960 में अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी। यह आज बढ़कर 13 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है और इसकी सहायता के लिए एक पूर्ण रूप से संगठित भर्ती/प्रशिक्षण केंद्र है, संयंत्र/उपस्कर मरम्मत के लिए दो पूर्ण रूप से सुसज्जित बेस कार्यशालाएं हैं तथा माल–सूची प्रबंधन के लिए दो इंजीनियनर भंडार डिपो हैं।

7.1.2 सीमा सड़क संगठन ने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के साथ जोड़ा है बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास किया है।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.1.3 सीमा सड़क संगठन का गठन, रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में सड़कों जिन्हें सामान्य स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के निर्माण और अनुरक्षण के लिए किया गया था। सामान्य स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सीमा सड़क विकास बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है।

7.1.4 जी एस सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध–सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य डिपोजिट कार्यों के रूप में किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सीमा सड़क संगठन ने हवाई क्षेत्र, स्थायी इस्पात एवं पूर्व–प्रतिबलित कंक्रीट पुलों और आवास परियोजनाओं के निर्माण में कार्य करके अपने कार्यों का विविधीकरण किया है।

सीमा सड़क संगठन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग

7.1.5 राष्ट्रीय राजमार्गों, जो वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के पास हैं, की सूची **अनुबंध–VII** में दी गई है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस संगठन को 1355.82 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 9 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया था। रोहतांग सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार और उत्तरी प्रवेश द्वार की

ओर जाने वाले पहुंच मार्गों की लंबाई क्रमशः 14.84 कि.मी. और 0.975 कि.मी. है। निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है। रोहतांग सुरंग को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर–दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर जम्मू से विजयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु0 है।

- ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण–'क' का कुछ कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस कार्य में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार करने का कार्य शामिल है। चरण 'क' के अंतर्गत 1400 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 492 कि.मी. सड़कों को चौड़ा करने और चरण 'ख' में अभिनिर्धारित सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए हैं। ये कार्य वर्ष 2006–07 में प्रारंभ हो चुके हैं।

- सीमा सड़क संगठन को अंडमान और निकोबार द्वीप–समूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया है। 300 कार्मिकों और 50 वाहनों/उपस्करों/संयंत्रों से युक्त एक टीम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भेजी गई। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने संग्रहण अग्रिम के लिए 10 करोड़ रु0 और उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम सड़क के लिए 72.11 करोड़ रु. जमा कर दिए हैं। यह कार्य प्रगति पर है।

- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 94 कि.मी. लंबी श्रीनगर–उरी (राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए) सड़क, 17,25 कि.मी. लंबी उरी–एल ओ सी सड़क का उन्नयन कार्य, 260 कि.मी. लंबी बटोटे–किश्तवाड़–अनंतनाग (राष्ट्रीय राजमार्ग 1बी) को दो लेन का बनाने, 422 कि.मी. श्रीनगर–लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग 1डी) को दो लेन का बनाने और 14.14 कि.मी. लंबी डोमेल–कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग 1सी) सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2308.81 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना है।

अध्याय VIII

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग में एक हिन्दी अनुभाग है। यह अनुभाग संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) के समग्र प्रभार में उप सचिव और उप निदेशक (राजभाषा) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के सभी संगत उपबंधों तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों को विभाग के सभी अधिकारियों एवं अनुभागों और विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित किया जाता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

8.1.2 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता हैः–

- संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें और प्रेस विज्ञप्ति।
- संसद के किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें और सरकारी दस्तावेज।
- निष्पादित संविदाएं और करार तथा लाइसेंस, परमिट, नोटिस और जारी की गई निविदा के प्रपत्र।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

8.1.3 माननीय राज्यमंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान में उल्लिखित राजभाषा से संबंधित उपबंधों, राजभाषा अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के साथ–साथ विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में सलाह देना है। हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकें दिल्ली, मैसूर और दिल्ली में क्रमशः 6 मार्च, 2006, 16 जून, 2006 और 9 नवंबर, 2006 को हुई।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

8.1.4 संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य राजभाषा के कार्यान्वयन की तिमाही प्रगति की समीक्षा करना और

कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के उपाय सुझाना है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की बैठक 12 अप्रैल, 2006 और 6 दिसंबर, 2006 को हुई। इस समिति की 12 अप्रैल, 2006 को हुई बैठक की अध्यक्षता सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग ने की।

राजभाषा समीक्षा समिति का गठन

8.1.5 इस विभाग में सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग की अध्यक्षता में राजभाषा समीक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति का कार्य विभाग में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा करना और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कारगर उपायों का सुझाव देना है।

हिंदी में मौलिक पुस्तक–लेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

8.1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में विभाग से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त दो प्रविष्टियों पर कार्रवाई की जा रही है।

पथ भारती का प्रकाशन

8.1.7 विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और विभाग से संबंधित कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से 'पथ भारती' के नाम से हिंदी में पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। यह एक अर्ध –वार्षिक पत्रिका होगी। पथ भारती के प्रारंभिक अंक में राजभाषा नीति, साहित्य और सामयिक विषयों सहित विभाग से संबंधित विषयों पर लेख आदि शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाना

8.1.8 विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने और अधिकारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14 सितंबर, 2006 को हिंदी दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15 सितंबर, 2006 से 29 सितंबर, 2006 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभाग के हिंदी और हिंदी इतर भाषी कर्मचारियों के लिए अलग–अलग 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। माननीय राज्य मंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) ने 9 नवंबर, 2006 को इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली का निर्माण

8.1.9 सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग की अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस शब्दावली में विभाग में सामान्यतः प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यांशों के सरल व आसान हिंदी समतुल्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

अध्याय IX

प्रशासन एवं वित्त

विभाग के प्रशासनिक पक्ष में सामान्य अनुभाग एवं रोकड़ अनुभाग के अतिरिक्त 4 स्थापना अनुभाग हैं। इन चार स्थापना अनुभागों में से स्थापना–I अनुभाग केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन इत्यादि के समूह 'ख' और 'ग' तकनीकी और गैर–तकनीकी संवर्ग के सेवा प्रबंधन तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों/इंजीनियर संपर्क कार्यालयों के अन्य अधीनस्थ स्टाफ के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरा अनुभाग विभाग में तकनीकी संवर्ग से भिन्न अन्य संवर्ग के कार्मिक मामलों का निपटान करता है। तीसरा अनुभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक मामलों को देखता है। चौथा अनुभाग समूह 'घ' पदों का कार्य देखता है और सभी स्थापना अनुभागों में समन्वय रखता है।

9.1.2 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–VIII** में दिया गया है।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

9.1.3 विभाग, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास कर रहा है। चुने गए और नामित निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है।

9.1.4 विभाग में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के तकनीकी और गैर–तकनीकी विभिन्न पदों पर कार्यरत निःशक्त व्यक्तियों की संख्या दिनांक 30.11.2006 की स्थिति के अनुसार नीचे तालिका 9.1 में दी गई हैः–

तालिका 9.1

तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या
क	208	– –
ख	50	– –
ग	41	02

गैर – तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या
क	43	– –
ख	216	– –
ग	253	06
घ	203	03

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

9.1.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर टी आई एक्ट) को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून, 2005 को मिली और इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21 जून, 2005 को प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए सूचना के अधिकार के अधीन व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।

9.1.6 विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक पृथक आर. टी. आई. अनुभाग बनाया गया है। नागरिकों से आवेदन–पत्र तथा आवेदन शुल्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र तथा कार्यप्रणाली तैयार की गई है। विभाग के मुख्यालय और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अंदर विभाग के जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों को पहले ही पदनामित कर दिया गया है नागरिकों की सुविधा के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में एकल खिड़की के तौर पर एक जन सूचना अधिकारी (नोडल अधिकारी) की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अनुसार

विभिन्न पक्षों/प्रभागों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने और उनका निपटान करने के उद्देश्य से पदनामित अधिकारियों (वस्तूतः जनसूचना अधिकारी) के रूप में उचित स्तर के अधिकारियों को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई), एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान (निथि), एक सोसाइटी है जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, दोनों ने अपने–अपने जन–सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की है।

9.1.7 इस वर्ष के दौरान दिसंबर, 2006 तक विभाग में 112 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उनमें से 100 आवेदन पत्रों का निपटान किया जा चुका है। विभाग में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्गों, देश में प्रमुख पुलों, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर प्लाजाओं, प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंप की संस्थापना को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों, निविदाओं आदि सहित सड़क अवसंरचना से संबंधित व्यापक सूचना मांगने के संबंध में हैं। सड़क परिवहन क्षेत्र में विभाग में इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्र मोटे तौर पर अधिनियम/नियमावली के कतिपय प्रावधानों और सड़क सुरक्षा व संबद्ध पहलुओं के स्पष्टीकरण सहित मोटर यान अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 से संबंधित हैं। ये आवेदन पत्र प्रशासनिक और कार्मिक मामलों जैसे संवर्ग प्रबंधन, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण और मंत्रियों के विदेश के दौरे आदि से संबंधित हैं।

9.1.8 यह विभाग विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को आर टी आई कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और सम्मेलनों में भेजता है। इस वर्ष के दौरान पांच अवर सचिवों/उप सचिवों को आर टी आई प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। विभाग द्वारा आगामी वर्ष के दौरान विभिन्न संगोष्ठियों/प्रशिक्षणों में भेजे जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

वित्त

9.1.9 अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, वित्त पक्ष के प्रमुख हैं। उनके काम में निदेशक (वित्त) और सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं।

9.1.10 समन्वित वित्त सलाहकारों की स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार का कार्य प्रशासनिक विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे इस विभाग की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यक्रम निर्धारण करने, बजट बनाने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने के संबंध में वित्तीय सलाह देना है। वित्त सलाहकार के काम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं–

- परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति को विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु और वित्त मंत्रालय को बजट मामलों पर प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री का समन्वय कार्य करना।
- उन सभी परियोजनाओं जिन पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, के संबंध में लोक निवेश बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना।
- व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति को सचिवालयी सहायता भी सुलभ कराना।

- विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों और स्कीमों पर सहमति सहित वित्तीय सलाह देना।
- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने में आवश्यक सहयोग देना।
- इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के आंतरिक संसाधनों और बजट इतर संसाधनों का आकलन करना।
- विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी विधीक्षा करना।
- सड़क और परिवहन क्षेत्र से संबंधित लगभग 3000 प्रस्तावों की जांच करना।
- परिणाम/डिलीवरी की यूनिट लागत में विशिष्ट वृद्धि सुनिश्चित करते हुए परिणम बजट तैयार करने में सहायता करना, विशिष्ट वस्तुओं के मापयोग्य और निगरानी योग्य परिणामों को परिभाषित करना, उचित मूल्यांकन, कार्यान्वयन, डिलीवरी, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना करना तथा इच्छित परिणामों की वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित करना।
- संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय स्थिति के बारे में वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली तिमाही समीक्षा के लिए अपेक्षित सामग्री प्रदान करके वित्तीय जिम्मेदारी निभाना और बजट प्रबंधन संबंधी कार्य करना।
- निष्पादन बजट तैयार करने के लिए समन्वय कार्य करना।
- इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के इष्टतम निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रणनीति तैयार करने में विभाग की सहायता करना।
- बाजार रुख और अन्य क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में विभिन्न गैर कर राजस्व आय की आवधिक समीक्षा करना तथा नियोजित सार्वजनिक संसाधनों से तर्कसंगत आय के बारे में सरकार को सिफारिश करना।
- निरंतर आधार पर परसंपत्तियों और देयताओं पर निगरानी तथा सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना।
- जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजना स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें इष्टतम उपलब्धि हो और व्यय सीमित हो।
- परियोजनाओं तथा अन्य जारी स्कीमों की प्रगति/निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय अनुशासन सुनश्चित करना, मितव्ययिता के उपाय करना तथा सभी प्रस्तावों की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के निपटान पर नजर रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा विनियोजन लेखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- वित्त मंत्रालय को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना।

9.1.11 वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा, वित्त सलाहकार, विभाग के बजट तथा लेखों का भी प्रभारी है। उनके दायित्वों में निम्न कार्य भी शामिल हैं:–

(क) यह सुनिश्चित करना कि इस विभाग द्वारा बजट तैयार करते समय अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार किया जाए।

(ख) बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी जांच करना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जा रहे हैं।

(घ) स्वीकृत अनुदानों की तुलना में खर्चों की समीक्षा करना और उनकी मानीटरिंग करना।

अध्याय X

सतर्कता

विभाग की सर्तकता यूनिट विभाग के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस यूनिट के प्रमुख संयुक्त सचिव (परिवहन व प्रशासन) हैं। विभाग के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

10.1.2 वर्ष 2006–07 के दौरान प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने में प्रत्यायोजन, लोक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और लोक व्यवहार में पारदर्शिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रशासनिक सतर्कता संबंधी वार्षिक निरीक्षण करना शामिल है।

10.1.3 विभाग में 6–10 नवम्बर, 2006 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विभाग के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अध्याय XI

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

संगठन एवं पद्धति इकाई

विभाग में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो विभाग द्वारा अनुसमर्थित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम लोगों के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है। जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

11.1.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल के अनुसार, विभाग में सभी अनुभागों/डेस्कों का वार्षिक संगठन एवं पद्धति संबंधी निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।

11.1.3 संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभाग में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। उन्हें निदेशक, लोक शिकायत के रूप में पदनामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत द्वारा शिकायतों की आवधिक/मासिक समीक्षा की जाती है तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इस विभाग में एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण तंत्र और मानीटरिंग प्रणाली (पी जी आर ए एम एस) भी कार्य कर रही है।

11.1.4 विभाग में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। उप सचिव (प्रशा.) को स्टाफ शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। वे शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन सायं 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा, संयुक्त सचिव (प्रशा.) भी इस काम के लिए महीने के दूसरे सोमवार को सुबह 11.00 बजे के बीच दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। उस दिन उपलब्ध न होने पर वे अगले दिन अर्थात दूसरे मंगलवार को उपलब्ध होते हैं। विभाग के कर्मचारी कभी भी सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग के सामने अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। शीघ्र निवारण के लिए ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

11.1.5 विभागीय कार्य, की सूचना देने, अतिरिक्त सूचना के लिए संपर्क किए जाने वाले कार्मिकों, शिकायतों के निपटान आदि की सूचना प्रदान करने के लिए एक नागरिक चार्टर प्रकाशित किया गया है और इसे विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

अभिलेख प्रकोष्ठ

11.1.6 रिकार्डों के प्रबंधन की ओर उचित ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2006–2007 के दौरान पुराने

रिकार्डों को रिकार्ड करने, उनकी समीक्षा करने तथा नष्ट करने के लिए ''विशेष अभियान'' चलाए गए। 1142 फाइलों को रिकार्ड किया गया। 3872 फाइलों की समीक्षा की गई और 976 फाइलों को नष्ट किया गया। 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी रिकार्डों को स्थायी रूप से रखे जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया गया है।

अध्याय XII

विभागीय लेखा संगठन और ढांचा

विभाग का लेखा प्रभाग, मुख्य लेखा नियंत्रक के समग्र प्रभार में है जो निम्नलिखित प्रमुख कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं–

- विभाग के विभिन्न पक्षों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों एवं संघों और राज्य सरकारों को भुगतान करना।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्यों पर राज्यों द्वारा किए गए व्यय के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की प्राप्तियों को स्वीकार करना, उनका लेखा–जोखा बनाना और बजटिंग करना।
- केंद्रीय लेन–देन के मासिक लेखे, विनियोजन लेखे (अनुदान सं. 86) और विवरण तैयार करना और उन्हें महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग तथा पोत परिवहन विभाग के कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और इस वर्ष के लिए बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना।

12.1.2 वर्ष 2005–06 के लिए अनुदान संख्या 86, – सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के संबंध में बचत और आधिक्य व्यय के ब्योरे **अनुबंध–IX** में दर्शाए गए हैं।

12.1.3 वर्ष 2005–06 के लिए धनराशि के स्रोत और उनके उपयोग (अनुप्रयोग) क्रमशः **अनुबंध–X** और **अनुबंध–XI** में दर्शाए गए हैं।

अध्याय XIII

विविध

महिलाओं की समस्या संबंधी सरकारी नीतियां

यह विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इस विभाग की लिंग संबंधी मुद्दों पर कोई विशेष स्कीम तथा नीति नहीं है। विभाग द्वारा की गई सड़क सुरक्षा संबंधी पहल में लिंग अथवा आयु का कोई भेदभाव नहीं होता है।

नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों का सारांश

13.1.2 इस विभाग के संबंध में नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों में उल्लिखित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

अनुबंध I
[पैरा 2.1.5]

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं की सूची

मंत्रालय की पथकर आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	रा रा सं.	राज्य	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	सौंपने की तिथि शुरू होने की संभावित तिथि/शुरू होने की तिथि	पूरा होने की संभावित/वास्तविक तिथि	वर्तमान स्थिति
1	थाने–भिवंडी बाईपास	3	महाराष्ट्र	24	103.00	सितं. – 1995	मई – 2002	पूर्ण
2	नरधाना आरओबी	3	महाराष्ट्र	13	34.21	नवं. – 1998	जुलाई – 1999	पूर्ण
3	हुबली–धारवाड़ बाईपास	4	कर्नाटक	30.35	68.00	फरवरी – 1998	मई – 2000	पूर्ण
4	रा रा 4 पर खंबातकी घाट में सुरंग सहित अतिरिक्त दो लेन का निर्माण	4	महाराष्ट्र	8	37.80	नवं. – 1998	सितं. – 2000	पूर्ण
5	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	6	50.00	अप्रैल – 1997	मई – 2003	पूर्ण
6	कोस्तलैयार पुल	5	तमिलनाडु	0.615	30.00	जनवरी – 1999	मई – 2001	पूर्ण
7	नसीराबाद आरओबी	6	महाराष्ट्र	1.17	10.45	नवं. – 1998	जुलाई – 2000	पूर्ण
8	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	5.16	32.60	नवं. – 1998	मई – 2001	पूर्ण
9	उदयपुर बाईपास	8	राजस्थान	11	24.00	अगस्त – 1996	अक्तू. – 1998	पूर्ण
10	माही पुल	8	गुजरात	1.5	42.00	नवं. – 1998	अप्रैल – 2000	पूर्ण
11	वत्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	7.4	48.20	नवं. – 1999	मार्च – 2001	पूर्ण
12	चलथन सड़क उपरि पुल	8	गुजरात	4	10.00	सितं. – 1996	जुलाई – 1998	पूर्ण
13	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113.00	नवं. – 1997	जनवरी – 2000	पूर्ण

14	पातालगंगा पुल और आरओबी	17	महाराष्ट्र	2.65	33.30	नवं. – 1997	जुलाई – 1999	पूर्ण
15	डेराबासी पर आरओबी	22	पंजाब	.	31.48	सितं. – 1999	अप्रैल – 2002	पूर्ण
16	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90.00	दिसं. – 1997	जनवरी – 2000	पूर्ण
17	रा रा 9 के 14/00 से 40/00 कि.मी. तक पुणे–शोलापुर को चार लेन का बनाना	9	महाराष्ट्र	26	88.00	फरवरी – 2003	दिसं. – 2004	पूर्ण
18	कटनी बाइपास	7	मध्य प्रदेश	17.5	48.00	अगस्त – 2002	जून – 2007	प्रगति पर
19	रा रा 6 के रायपुर–दुर्ग खंड को चार लेन का बनाना	6	छत्तीसगढ़	26.6	50.00	मई – 2003	जून – 2006	पूर्ण
20	कुरली में 26.428 कि.मी. में आर ओ बी	21	पंजाब	2. लेन आरओबी	20.52	दिसं. – 2003	दिसं. – 2006	प्रगति पर
21	रा रा 6 पर 113/200 कि.मी पर पिंगलई नदी पर पुल का निर्माण	6	महाराष्ट्र	2.7	14.15	मई – 2004	जुलाई – 2005	पूर्ण
22	शिलफाटा (131/200 कि.मी.) से निगाडी (20/400 कि.मी.) तक रा रा 4 के पुणे खंड को चार लेन का बनाना और सुधार	4	महाराष्ट्र	111	153.00	मई – 2004	जुलाई – 2006	पूर्ण
23	रीवा बाईपास	7	मध्य प्रदेश	19.44	48.00	जून – 2005	जून – 2007	प्रगति पर
24	रा रा 9, 493/0–524/0 कि.मी. को चार लेन का बनाना (पुणे– हैदराबाद)	9	आंध्र प्रदेश	31	99.00	दिसं. – 2005	जनवरी – 2008	प्रगति पर
25	पूणे–नासिक (खेद) (12.90 से 42.00 कि.मी.)	50	महाराष्ट्र	30	127.60	अगस्त – 2003	दिसं. – 2005	पूर्ण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण पथकर आधारित परियोजनाएं

1	दुर्गा बाईपास	6	छत्तीसगढ़	18.4	70	मार्च – 1999	जनवरी – 2001	पूर्ण
2	किशनगढ़ बाईपास पर आरओबी	8	राजस्थान	1	18	मार्च – 1998	फरवरी – 2000	पूर्ण
3	तुमकुर–नीलमंगला खंड को चाल लेन का बनाना (रा रा 4 का 29.5 से 62.0 कि.मी.)	4	कर्नाटक	32.5	155	जून – 2006	दिसं. – 2003	पूर्ण
4	टाडा (52.8 कि.मी.) से नेल्लौर (163.6 कि.मी) को चार लेन का बनाना	5	आंध्रप्रदेश	110.52	621.35	अगस्त – 2006	दिसं. – 2003	पूर्ण
5	नंदीगांव–विजयवाड़ा	9	आंध्रप्रदेश	35	138.65	अगस्त – 2001	जून – 2004	पूर्ण
6	सतारा–कागल खंड को चार लेन का बनाना	4	महाराष्ट्र	133	600.00	फरवरी – 2001	फरवरी – 2006	पूर्ण
7	दिल्ली – गुडगांव खंड	8	हरियाणा	27.7	555.00	अप्रैल – 2002	दिसं. – 2006	प्रगति पर
8	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	2	पश्चिम बंगाल	6	641.00	सितं. – 2002	अप्रैल – 2007	प्रगति पर
9	महापुरा (जयपुर के समीप) किशनगढ़ (273.5–363.885 कि.मी)	8	राजस्थान	90.38	644.00	अप्रैल – 2003	मार्च – 2005	पूर्ण
10	भरतपुर–महुआ	11	राजस्थान	57	250.00	अप्रैल – 2006	जनवरी – 2009	प्रगति पर
11	महुआ–जयपुर	11	राजस्थान	108	483.00	मार्च – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
12	गुना बाइपास	3	मध्य प्रदेश	14	46.00	जनवरी – 2006	जुलाई – 2007	प्रगति पर
13	जालंधर–अमृतसर	1	पंजाब	49	263.00	मई – 2006	फरवरी – 2009	प्रगति पर
14	अंबाला–चंडीगढ़	21, 22	पंजाब	36	298.00	मई – 2006	मार्च – 2008	प्रगति पर
15	वडापे–गोंड	3	महाराष्ट्र	100	579.00	अप्रैल – 2006	अप्रैल – 2009	प्रगति पर

16	पिंपलगांव–धूले	3	महाराष्ट्र	118	556.00	मार्च – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
17	रायपुर–औरंग	6	छत्तीसगढ़	45	190.00	अप्रैल – 2006	जनवरी – 2009	प्रगति पर
18	मेरठ–मुजफ्फरनगर	58	उत्तर प्रदेश	79	359.00	मार्च – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
19	राजकोट बाइपास और गोंडल–जैतपुर	8 बी	गुजरात	36	388.09	सितं. – 2006	मार्च – 2008	प्रगति पर
20	पानीपत से होते हुए उत्थापित राजमार्ग	1	हरियाणा	10	270.00	मार्च – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
21	इंदौर–खालघाट	3	मध्य प्रदेश	80	472.00	सितं. – 2006	सितं. – 2009	प्रगति पर
22	आगरा–भरतपुर (उत्तर प्रदेश /राजस्थान सीमा)	11	उत्तर प्रदेश/ राजस्थान	45	195.00	सितं. –2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
23	कोंधाली–तालेगांव	6	महाराष्ट्र	50	212.00	सितं. – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
24	सलेम–केरल सीमा (रा रा 7 पर 203.96 से रा रा 4 53 कि.मी.)	7 और 4	तमिलनाडु	53.53	469.80	जुलाई – 2006	दिसं – 2008	प्रगति पर
25	सलेम–केरल सीमा (53 से 100 कि.मी.)	7	तमिलनाडु	48.51	379.80	जुलाई – 2006	दिसं. – 2008	प्रगति पर
26	फारुखनगर–कोट्टाका (34 कि.मी. से 80.05 कि.मी.)	7	महाराष्ट्र	46.16	267.20	अगस्त – 2006	फरवरी – 2009	प्रगति पर
27	फारुखनगर–कोट्टाका (80.05 से 135.47 कि.मी.)	7	आंध्र प्रदेश	56	313.70	अगस्त – 2006	फरवरी – 2009	प्रगति पर
28	कृष्णागिरि – थोपुरघाट	7	तमिलनाडु	62.5	372.70	जुलाई – 2006	दिसं. – 2008	प्रगति पर
29	सलेम–करूर (207.05 से 248.625 कि.मी.)	7	तमिलनाडु	41.55	253.50	अगस्त – 2006	जनवरी – 2009	प्रगति पर

30	सलेम–करूर (258.6 से 292.6 कि.मी.)	7	तमिलनाडु	33.48	205.60	जुलाई – 2006	दिसं. – 2008	प्रगति पर
31	त्रिसूर–अंगामाली	47	तमिलनाडु	40	312.50	सितं. – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
32	करूर–मदुरै (373.27 से 426.6 कि.मी.)	7	तमिलनाडु	53.03	283.50	जुलाई – 2006	दिसं. – 2008	प्रगति पर
33	करूर–मदुरै (305.4 से 373.27 कि.मी.	7	तमिलनाडु	68.13	327.20	अक्तू. – 2006	अप्रैल – 2009	प्रगति पर
34	सीतापुर–लखनऊ	24	उत्तर प्रदेश	75	322.00	जून – 2006	जनवरी –2009	प्रगति पर
35	बंगलौर–होसूर उत्थापित राजमार्ग (सिल्क मार्ग इलैक्ट्रनिक सिटी)	7	कर्नाटक	9.98	450.00	जनवरी – 2006	जुलाई – 2008	प्रगति पर
36	नागपुर–कोंधाली	6	महाराष्ट्र	40	168.00	जून – 2006	दिसं. – 2008	प्रगति पर
37	आरमूर से एडलूर येलारेड्डी	7	आंध्र प्रदेश	60.25	390.56			प्रगति पर
38	टिंडीवनम–उलून्डूपेट (121– 192.25)	45	तमिलनाडु	71.25	480.00	अप्रैल – 2006	अप्रैल – 2009	प्रगति पर
39	उलून्डूपेट–पाडलूर (192.25–285 कि.मी)	45	तमिलनाडु	92.75	460.00	मई – 2006	मई – 2009	प्रगति पर
40	पाडलूर – त्रिची	45	तमिलनाडु	40	320.00	जून – 2006	जून – 2009	प्रगति पर
41	तंजावुर – त्रिची	67	तमिलनाडु	56.13	280.00	जुलाई – 2006	जून – 2009	प्रगति पर
42	मदुरै – अरूपुकोट्टइ तूतीकोरिन	45 बी	तमिलनाडु	128.15	629.00	जून – 2006	जनवरी –2010	प्रगति पर
43	वडोदरा से भरुच	8	गुजरात	83.3	660.00			प्रगति पर
44	भरुच से सूरत	8	गुजरात	65	492.00			प्रगति पर
45	पानागढ़ – पलसित	2	पश्चिम बंगाल	64.457	350.00	जून – 2002	जून – 2005	पूर्ण

46	पलसित – दनकुनी खंड (दुर्गापुर एक्सप्रेसवे)	2	पश्चिम बंगाल	65	432.40	अक्तू. – 2002	जुलाई – 2005	पूर्ण
47	महाराष्ट्र सीमा – बेलगाम खंड	4	कर्नाटक	77	332.00	जून – 2002	अक्तू. – 2004	पूर्ण
48	अंकापल्ली–तुनी खंड	5	आंध्र प्रदेश	58.947	283.20	मई – 2002	जनवरी – 2005	पूर्ण
49	तुनी–धर्मावरम खंड	5	आंध्र प्रदेश	47	231.90	मई – 2002	जुलाई – 2005	पूर्ण
50	धर्मावरम – राजमुंदरी खंड	5	आंध्र प्रदेश	53	206.00	मई – 2002	मार्च – 2005	पूर्ण
51	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.2	143.20	अक्तू. – 2002	सितं. – 2004	पूर्ण
52	ताम्बरम – टिंडीवनम खंड	45	तमिलनाडु	93	375.00	मई – 2002	जनवरी – 2005	पूर्ण
53	बारा से ओरई	2, 25	उत्तर प्रदेश	62.8	465.00			प्रगति पर
54	पालनपुर से स्वरूपगंज	14	राजस्थान /गुजरात	76	498.00			प्रगति पर
55	अडलूर येलोरेड्डी से कालकालू गांव	7	आंध्र प्रदेश	85.74	546.15	अक्तू. – 2006	अप्रैल – 2009	प्रगति पर
56	पंहुच मार्गों और बंड सहित कोसी पुल	57	बिहार	10	418.04			प्रगति पर
57	गोरखपुर बाइपास	28	उत्तर प्रदेश	32.6	600.24			प्रगति पर
58	झांसी से ललितपुर (0/0 से 49/7 कि.मी.)	25,26	उत्तर प्रदेश	49.7	355.06			प्रगति पर
59	झांसी से ललितपुर (49/72 से 99/0 कि.मी.)	26	उत्तर प्रदेश	49.3	276.09			प्रगति पर
60	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	7	मध्य प्रदेश	49.35	263.17			प्रगति पर

61	हैदराबाद –बंगलौर खंड (135/4 से 211/0 कि.मी.)	7	आंध्र प्रदेश	74.65	611.44	सितं. – 2006	मार्च – 2009	प्रगति पर
62	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा – नंदीहिल्स क्रसिंग और देवनहल्ली से मीनूकूंटे गांव	7	कर्नाटक	61.38	402.80			प्रगति पर
63	ग्वालियर बाइपास (0/0 से से 42/03 कि.मी.)	75,3	मध्य प्रदेश	42.03	300.93	मई – 2006	अक्तू. – 2009	प्रगति पर
64	ग्वालियर से झांसी (16/0 से 96/12 कि.मी.)	75	मध्य प्रदेश (68.5)/उत्तर प्रदेश (11.5)	81.12	604.00	मई – 2006	दिसं. 2009	प्रगति पर

अनुबंध – II
[पैरा 3.1.2]

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214 ए, 214, 219, 221 और 222	4472
2	अरूणाचल प्रदेश	52, 52 ए और 153	392
3	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62,151, 152, 153 और 154	2836
4	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9	गुजरात	एनई–1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, और एन ई -II	1512
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88 और 73ए	1208
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, और 1डी	1245
13	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213, और 220	1440
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4670
17	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557

25	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585
26	सिकिक्म	31ए	62
27	तामिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 और 227	4462
28	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	1991
30	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119 और एनई - II	5874
31	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 6, 31, 31ए, 31बी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2377
32	अंडमान और निकोबार	223	300
		जोड़	**66590**

अनुबंध – III
[पैरा 3.1.13]

पत्तन सड़क संपर्क परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा रा सं.	राज्य	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	कांडला पत्तन, गांधीधाम समख्याली (पैकेज I से III)	8ए	गुजरात	56.16	153.75	पूर्ण
2	राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव के बीच मुरगांव पत्तन	17बी	गोवा	18	80	13.1 कि.मी. पूर्ण
3	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण–I)	4बी और 4	महाराष्ट्र	30	177.12	पूर्ण
4	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण –II)	एसएच–54	महाराष्ट्र	14.35	158.89	चालू
5	हल्दिया पत्तन	41	पश्चिम बंगाल	53	273	चालू
6	विशाखपत्तनम	एसआर	आंध्र प्रदेश	12	93.79	चालू
7	तूतीकोरिन पत्तन	7ए	तमिलनाडु	47.2	138	चालू
8	पारादीप पत्तन	5ए	उड़ीसा	77	428	चालू
9	कोचीन पत्तन	47	केरल	10	106	चालू
10	न्यू मंगलूर पत्तन	17 और 48	कर्नाटक	37	196.50	चालू
11	चेन्नै पत्तन, चेन्नै–इन्नौर एक्सप्रेसवे	एसआर	तमिलनाडु	30	161.00	चालू

अनुबंध IV
[पैरा 3.1.18]
वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास हेतु		अनुरक्षण हेतु
		(मूल)	पीबीएफएफ	
1	आंध्र प्रदेश	80.00	7.34	75.01
2	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.00	0.28
3	असम	65.00	1.86	25.49
4	बिहार	70.00	14.07	34.34
5	चंडीगढ़	2.00	0.00	0.70
6	छत्तीसगढ़	50.00	2.45	25.85
7	दिल्ली	15.50	0.00	0.43
8	गोवा	5.00	0.00	3.58
9	गुजरात	60.00	7.69	34.81
10	हरियाणा	50.00	0.00	14.08
11	हिमाचल प्रदेश	45.00	0.00	16.80
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
13	झारखण्ड	40.00	0.00	21.75
14	कर्नाटक	75.00	3.91	38.38
15	केरल	55.00	7.02	32.89
16	मध्य प्रदेश	80.00	14.64	6294
17	महाराष्ट्र	105.00	9.45	60.33
18	मणिपुर	15.00	0.09	6.31
19	मेघालय	26.00	0.90	11.21
20	मिजोरम	20.00	0.000	4.30
21	नगालैंड	11.00	0.000	3.83
22	उड़ीसा	65.00	1.370	42.25

23	पांडिचेरी	5.00	0.000	0.89
24	पंजाब	50.00	3.34	18.44
25	राजस्थान	75.00	5.37	60.58
26	तमिलनाडु	85.00	2.69	29.07
27	उत्तर प्रदेश	135.00	5.95	55.19
28	उत्ताखंड	40.00	1.86	18.66
29	पश्चिम बंगाल	55.00	0.000	19.16
	एन एच ए आई	150.00	..	..
	आरक्षित	14.63	..	..
	कटनी बाईपास (म.प्र.)	0.17	..	..
	जोड़	**1550.30**	**90.00**	**717.54**
	सीमा सड़क संगठन	**584.00**	**..**	**22.28**

अनुबंध V
[पैरा 5.1.3]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्योरे

क्रम सं.	रा रा सं.	खंड	राज्य	लंबाई कि.मी.
1	36, 39	दाबोका–दीमापुर	असम, नगालैंड	124
2	31, 52 और 52ए	बैहाटा–चरियाली–इटानगर (पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर)	असम, अरुणाचल प्रदेश	345
3	39	कोहिमा–इम्फाल	नगालैंड मणिपुर	140
4	44, 53	शिलांग–अगरतला (शिलांग बाईपास को छोड़कर)	मेघालय, असम और त्रिपुरा	447
5	54	सिलचर–आइजोल (पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर)	असम और मिजोरम	190
	जोड़			**1246**

अनुबंध VI
[पैरा 5.1.4]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क और ख के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय/जनरल स्टाफ सड़कों की राज्यवार लंबाई

क्रम सं.	राज्य	सड़क लंबाई (कि.मी.)				
		रा रा		राज्यीय/जी एस सड़के		
		चरण–क	चरण–ख	चरण–क	चरण–ख	जोड़
1.	अरूणाचल प्रदेश	0	335	36	2629	3000
2.	असम	822	29	0	199	1050
3.	मणिपुर	0	92	108	58	258
4.	मेघालय	112	179	0	223	514
5.	मिजोरम	0	537	0	272	809
6.	नगालैंड	81	491	0	511	1083
7.	सिक्किम	95	0	56	270	421
8.	त्रिपुरा	0	455	0	26	481
	कुल जोड़	**1110**	**2118**	**200**	**4188**	**7616**

अनुबंध VII
[पैरा 7.1.5]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की ओर

जी एस द्वारा विकसित और अनुरक्षित

रा रा	खंड	लंबाई (कि.मी.)
रा रा–1ए	पठानकोट–जम्मू श्रीनगर	396
रा रा–22	वागटू–पूह	89
रा रा–31ए	सिवोक–गंगटोक	93
	जोड़	**578**
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा विकसित और जी एस द्वारा अनुरक्षित		
रा रा–1ए	श्रीनगर–उरी	94
रा रा–1बी	बटोट–किश्तवाड़–सिंथन पास–आनंतनाग	265
रा रा–1सी	दोमेल–कटरा	15
रा रा–1डी	श्रीनगर–जोजिला–कारगिल–लेह	430
रा रा–31	सिवोक रेलवे क्रासिंग	3
रा रा–39	दीमापुर–कोहिमा–माओ–मारम	129
रा रा–44	जोवई–रताचेरा–चुराईबाड़ी–अगरतला	419
रा रा–.52	जोनई–दीरक	335
रा रा–52ए	बंदरदेवा–इटानगर–गोहपुर	61
रा रा–53	बदरपुर–सिलचर–जीरीबम–इम्फाल	288
रा रा–54	सिलचर–बैरंगटे–आइजोल–तूइपंग	561
रा रा–54ए	थेरियाट–लूंगलेई	9
रा रा–54बी	बीनस सैडल–सैहा	27
रा रा–58	ऋषिकेश–जोशीमठ–मान	301
रा रा–94	ऋषिकेश–धरासू	122
रा रा–150(पार्ट)	कोहिमा–लेनी–जेसामी	130
	जोड़	**3189**

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
Sadak Suraksha Jeevan Raksha

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षण		
रा रा–16	जगदलपुर–महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा	288
रा रा–44 विस्तार	अगरतला–सबरूम	131
रा रा–44ए	लूइपंग–मानू	123
रा रा–52	बैहाटा–चराली–जोनई	510
रा रा–52	दीरक–रुपई	31
रा रा–62	दुधनई–नंववालब्रिबा	82
रा रा–87	सिमली–कर्णप्रयाग	7
रा रा–108	धरासू–भैंरोघाटी	124
रा रा–109	रुद्रप्रयाग–गौरीकुंड	76
रा रा–125	टनकपुर–पिथौरागढ़	151
रा रा–150 (पार्ट)	जेसामी–यांगपोकपी और चूरचादपुर–तिपईमुख	231
रा रा–151	करीमगंज–सूत्रकंडी	14
	जोड़	**1768**
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित		
रा रा–1ए	विजयपुर–जम्मू	17.20
	जोड़	**17.20**
	कुल जोड़	**5552.20**

अनुबंध VIII
[पैरा 9.1.2]

अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

30.11.2006 की स्थिति के अनुसार

तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	इस समय कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	208	191	27	14.13	10	5.23
समूह ख	50	44	07	15.90	03	6.81
समूह ग	41	30	06	20.00	02	6.66
जोड़	**299**	**265**	**40**	**15.09**	**15**	**5.66**

गैर तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	इस समय कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	इस समय कुल कर्मचारियो के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	43	34	04	11.76	01	2.94
समूह ख	216	193	32	16.58	05	2.59
समूह ग	253	197	35	17.76	07	3.55
समूह घ	203	189	65	34.39	10	5.29
जोड़	**715**	**613**	**136**	**22.18**	**23**	**3.75**
कुल जोड़ (तकनीकी व गैर तकनीकी)	**1014**	**878**	**176**	**20.04**	**38**	**4.32**

अनुबंध IX
[पैरा 12.1.2]

वर्ष 2005–06 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि

(करोड़ रु.)

की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**1.4.2005**	**265.27**
के दौराण प्राप्तियां	2005–06	80.00
के दौराण भुगतान	2005–06	35.48
अंत शेष	**31.3.2006**	**309.79**

केंद्रीय सड़क निधि

(करोड़ रु.)

की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**1.4.2005**	**3294.85**
के दौरान प्राप्तियां	2005–06	4975.69
के दौरान भुगतान (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान + प्रबंधन व्यय)	2005–06	4655.24
अंत शेष	**31.3.2006**	**3615.30**

वर्ष 2005–2006 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का अनुदान

(करोड़ रु.)

अनुदान सं. और नाम		बजट प्राक्कलन	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	सरंडर
अनुदान सं. 86	राजस्व लेखा	8452.13	133.00	8585.13	8136.73	448.40	141.67
	पूंजी लेखा	10640.92	0	10640.92	9076.26	1564.66	1539.58
जोड़		**19093.05**	**133.00**	**19226.05**	**17212.99**	**2013.06**	**1681.25**

स्रोत : विनियोजन लेखा 2005 – 2006

अनुबंध X
[पैरा 12.1.3]

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान केंद्रीय लेन देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	2003–04	2004–2005	2005–06
1	0021–नैगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	17.20	30.27	35.71
2	0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1.49		.
3	0049–व्याज की प्प्तियां	63.08	144.54	193.41
4	0050–लाभांश और लाभ		.	.
5	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं		.	.
6	0071–पेंशन और अन्य सेवा निवृति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	0.12	0.10	0.28
7	0075–विविध सामान्य सेवाएं	1.11	0.01	1.45
8	0210–चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ	0.07	0.08	0.08
9	0216–आवास	0.09	0.08	0.09
10	0852–परिवहन उपस्कर सेवाएं		.	.
11	1054–सड़क और पुल	92.70	99.30	94.76
12	1055–सड़क परिवहन			0.52
13	1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.10	0.12	0.07
	जोड़ (राजस्व प्राप्तियां)	**175.96**	**274.50**	**326.37**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	2003–04	2004–05	2005–06
1	7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	115.60	71.08	100.77
2	7601 राज्य सरकार को ऋण तथा अग्रिम	.	13.87	17.48
3	7602 संघ राज्य क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम	.	.	.
4	7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.75	0.65	0.61
	जोड़ (पूंजी प्राप्तियां)	**116.35**	**85.60**	**118.86**
	कुल जोड़	**292.31**	**360.10**	**445.23**

अनुबंध XI
[पैरा 12.1.3]

वर्ष 2005–2006 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की निधियों का उपयोग

(करोड़ रुपए में)

	राजस्व व्यय								
विवरण	2003–04			2004–05			2005–06		
	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़
2049 व्याज का भुगतान		1.80	1.80	.	2.06	2.06		2.39	2.39
2071 पेंशन का भुगतान (एम 2071)		2.06	2.06	.	1.86	186		1.24	1.24
2235 सामजिक, सुरक्षा एवं कल्याण		.	.	.	.	.		0.02	0.02
3054 सड़क एवं पुल	3046.43	909.51	3955.94	2812.69	746.38	3559.07	4979.69	902.64	5882.33
3055 सड़क परिवहन	34.55	.	34.55	32.42	.	32.42	27.70		27.70
3451 सचिवालय, आर्थिक सेवाएं		35.19	35.19	.	23.98	23.98		25.79	25.79
3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	856.33	578.70	1435.03	0.10		0.10	0.86		0.86
3602 संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	9.25	.	9..25	.	.	.	.	.	.
3605 अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग								0.03	0.03
राजस्व व्यय	3946.56	1527.26	5473.82	2845.21	774.28	3619.49	5008.25	932.11	5940.36

पूंजी व्यय									
	2003–04			2004–05			2005–06		
5054 सड़क एवं पुल	5002.53	233.63	5236.16	2582.67	.	2582.67	4642.82		4642.82
7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	289.78		289.78	360.50	.	360.50	600.00		600.00
7610 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	.	0.66	0.66	.	0.65	0.65		0.35	0.35
पूंजी व्यय	5292.31	234.29	5526.60	2943.14	0.65	2943.79	5242.82	0.35	5243.17
कुल जोड़ (राजस्व + पूंजी)	9238.87	1761.55	11000.42	5788.35	774.93	6563.28	10251.09	932.46	11183.53

अनुबंध XII
[पैरा 13.1.2]

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण न किए जाने के कारण 6 वर्षों तक ब्याज का भुगतान करने के कारण 1.05 करोड़ रु का घाटा हुआ।

[2006 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 18.1.1]

कोबिट ढांचे के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड में ढांचागत सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के फलस्वरूप प्राधिकरण को अपनी कामकाजी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्थाओं के विकास और कार्यान्वयन में गैर–समन्वित दृष्टिकोण की स्थिति पैदा हो गई। इन व्यवस्थाओं का विकास उन संकेतकों के अनुसार चालू आधार पर निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया था जो विश्व बैंक के लिए संतोषजनक हों और प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी लागत लाभ विश्लेषण से न हो। एक मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी का पैकेज लगभग आधा तैयार हो चुका था, तभी प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि सूचना को दूसरे देश में स्थित सर्वर पर डालना पडेगा और परिणामस्वरूप सूचना सोल्यूशन को विकसित करने का विचार त्यागना पड़ा जिसके फलस्वरूप दिसंबर, 2005 तक 5.07 करोड़ रु का अपव्यय हुआ।

[2006 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 12 का पैरा 27.1.1]

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली

Printed at: I G Printers Pvt. Ltd. 26810297, 26817927